मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १ सन् २०२३

मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, २०२३

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अधिनियम, २०२३ है. **संक्षिप्त नाम.**

भाग-एक

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) का संशोधन

२. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) में, — **मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २३ सन् १९५६ का संशोधन.**

(१) धारा १९५ में उपधारा (५) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''(५) यदि किसी भवन या भूमि का स्वामी या अधिभोगी इस धारा के अधीन सूचना या आदेश की तामील के बावजूद उसमें उल्लिखित कार्य, यथास्थिति, उस सूचना या आदेश में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करने में असफल रहता है, तो आयुक्त, जुर्माना, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा और सूचना में उल्लिखित कार्य पूर्ण नहीं होने तक और अतिरिक्त जुर्माना, जो दो सौ रुपए प्रति दिन तक का हो सकेगा, अधिरोपित करेगा :

परन्तु इस धारा के उल्लंघन के संबंध में जुर्माने के लिए कार्यवाहियां करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आयुक्त अपने अभिकरण के माध्यम से उक्त कार्य करवा सकेगा और बारहवें अध्याय में उपबंधित रीति में, यथास्थिति, उसके स्वामी या अधिभोगी से, इससे संबंधित उपगत व्यय वसूल कर सकेगा.''

(२) धारा २९० का लोप किया जाए.

(३) धारा ३६० का लोप किया जाए.

(४) धारा ३६२ का लोप किया जाए.

भाग-दो

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) का संशोधन

३. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) में,— **मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक ३७ सन् १९६१ का संशोधन.**

(१) धारा २०८ में, उपधारा (५) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''(५) यदि किसी भवन या भूमि का स्वामी या अधिभोगी इस धारा के अधीन सूचना या आदेश की तामील के बावजूद उसमें उल्लिखित कार्य, यथास्थिति, उस सूचना या आदेश में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करने में असफल रहता है तो परिषद्, जुर्माना, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा और सूचना में उल्लिखित कार्य पूर्ण नहीं होने तक और अतिरिक्त जुर्माना, जो दो सौ रुपए प्रतिदिन तक का हो सकेगा, अधिरोपित करेगी:

परन्तु इस धारा के उल्लंघन के संबंध में जुर्माने के लिए कार्यवाहियां करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिषद् अपने अभिकरण के माध्यम से उक्त कार्य करवा सकेगी और बारहवें अध्याय में उपबंधित रीति में, यथास्थिति, उसके स्वामी या अधिभोगी से, इससे संबंधित उपगत व्यय वसूल कर सकेगी.''

(२) धारा २८८ का लोप किया जाए.

(३) धारा २९० का लोप किया जाए.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

नगरीय स्थानीय निकायों के प्राधिकारियों को मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) के किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन के विरुद्ध दाण्डिक कार्रवाई की शक्तियां हैं. इसके अतिरिक्त, अधिनियमों में ऐसे भी उपबंध हैं जो कतिपय उपबंधों के उल्लंघन के लिए कारावास का उपबंध करते हैं. इन उपबंधों का पुनर्विलोकन किया गया और यह पाया कि वर्तमान में इनमें से कुछ उपबंध समय के साथ अप्रचलित हो गए हैं. कई उपबंधों को चिन्हित किया गया है जिनमें अनुपालन भार कार्य को कम करने के अंतर्गत अपराध मुक्ति को लागू किया जा सकता है.

२. पुनर्विलोकन के पश्चात्, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ की धारा १९५ (५) को चिन्हित किया गया है, जिसमें कारावास का उपबंध हटाया जा सकता है और धारा २९०, ३६० और ३६२ का लोप किया जा सकता है. इसी प्रकार, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ की धारा २०८ (५) को चिन्हित किया गया है जिनमें कारावास का उपबंध हटाया जा सकता है और धारा २८८ तथा २९० का लोप किया जा सकता है. अतएव, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ की सुसंगत धाराओं में यथोचित संशोधन किया जाना प्रस्तावित है.

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख २८ फरवरी, २०२३.

भूपेन्द्र सिंह
भारसाधक सदस्य.

उपाबंध

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) से उद्धरण.

*   *   *   *   *

धारा १९५-(५) यदि किसी भवन या भूमि का स्वामी या अधिभोगी इस धारा के अधीन सूचना या आदेश की तामील के बावजूद उसमें उल्लिखित कार्य यथास्थिति उस सूचना या आदेश में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करने में असफल रहेगा तो जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा और उस दशा में जबकि वह जुर्माने का संदाय नहीं करता है, करावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा:

परन्तु, इस धारा के उल्लंघन के संबंध में दण्ड के लिए कार्यवाहियां करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना आयुक्त, उक्त कार्य अपने अभिकरण के माध्यम से करवा सकेगा और उसके संबंध में उपगत खर्च यथास्थिति उसके स्वामी या अधिभोगी से उस रीति में वसूल कर सकेगा जो अध्याय-१२ में उपबंधित है.

*   *   *   *   *

धारा २९०- (१) आयुक्त सार्वजनिक सूचना द्वारा शवों को गाड़ने तथा जलाने के स्थानों पर ले जाने के लिए मार्ग नियत कर सकेगा,

(२) कोई भी जो किसी शव को आयुक्त द्वारा निषेधित मार्ग से या ऐसी रीति में, जिससे जनता के उद्विजत होने की संभावना हो, ले जावेगा. (ऐसे कारावास से जो एक मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा.

*   *   *   *   *

धारा ३६०-(१) कोई भी जो नियम की सीमा के भीतर किसी सड़क या सार्वजनिक स्थान में भिक्षा मांगेगा या भिक्षा देने के लिए उत्तेजित करने या बलात् भिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से किसी विरूपता, रोग या शारीरिक पीड़ा या किसी उद्वेजक फोड़े या घाव को खुला रखेगा या प्रदर्शित करेगा, ऐसे कारावास से जो तीन मास तक का हो सकता है, या ऐसे अर्थदण्ड से जो (पांच सौ रुपये) से अधिक न हो या दोनों से दण्डनीय होगा.

(२) यदि न्यायालय यह पाए कि किसी व्यक्ति ने उपधारा (१) के अधीन दण्डनीय अपराध किया है, तो वह, यदि उसके मत में वह व्यक्ति शारीरिक अशक्तता या दुर्बलता के कारण जीविका अर्जित करने में असमर्थ हो या दरिद्रालय के सुपुर्द किए जाने के लिए अन्यथा योग्य व्यक्ति हो, दंडाज्ञा देने के स्थान पर, यह आदेश दे सकेगा कि उसे ऐसी अवधि के लिए या ऐसे प्रतिबंधों के पालन के अधीन जैसे कि इस अधिनियम के अधीन (बनाई गई उपविधियों) द्वारा नियत किए जाएं, निगम द्वारा परिपोषित या शासन द्वारा मान्य दरिद्रालय को भेज दिया जाए:

किन्तु प्रतिबंध यह है कि ऐसी कोई आदेश दरिद्रालय का कार्यभार रखने वाले व्यक्ति को आपत्तियां प्रस्तुत करने और यदि वह ऐसी वांछा करें, तो उसके समर्थन में सुने जाने का अवसर दिए बिना नहीं दिया जावेगा.

(३) यदि उपधारा (२) के अधीन दरिद्रालय को भेजा गया व्यक्ति उससे निकल भागे या ऐसे प्रतिबंधों का उल्लंघन करे जिनके पालन के अधीन उसे दरिद्रालय को भेजा गया था, तो वह ऐसे अर्थदंड से जो (एक हजार रुपये) तक का हो सकता है, या दोनों से दण्डनीय होगा.

(४) यदि न्यायालय यह पाए कि वह व्यक्ति जिसने उपधारा (१) के अधीन दण्डनीय अपराध किया है नगर की सीमा के भीतर नहीं जन्मा था या उसने एक वर्ष से अधिक के लिए उसमें निरंतर निवास नहीं किया है, तो उपरोक्त उपधाराओं में उल्लिखित दण्डादेश या आदेश के स्थान पर यह उक्त व्यक्ति को ऐसे समय के भीतर तथा ऐसे मार्ग या मार्गो से जो कि आदेश में बतलाए जाएं, उक्त सीमा को छोड़ने और जिला मजिस्ट्रेट की लिखित अनुज्ञा के बिना वहां वापस न आने के लिए लिखित आदेश द्वारा निर्देश दे सकेगा. यदि उक्त व्यक्ति उसमें निर्दिष्ट समय के भीतर के आदेश का पालन न करें तो न्यायालय उक्त व्यक्ति को ऐसी अनुरक्षक के अधीन जैसा कि वह निर्देश दे नगर की सीमा के बाहर हटवा सकेगा.

(५) यदि उक्त व्यक्ति उपधारा (४) में निर्दिष्ट प्राधिकारी की अनुज्ञा के बिना नगर की सीमाओं में लौटेगा, तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक हो सकती है, या ऐसे अर्थदण्ड से जो (एक हजार रुपये) तक हो सकता है, या दोनों से दण्डनीय होगा.

(६) विचार चलने तक या विचार के काल में, इस धारा के अधीन अपराध के दोषी व्यक्ति को समय-समय पर न्यायालय द्वारा निर्देशित किए गए अनुसार या तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, १८९८ की धारा ३४४ के अधीन अभिरक्षण में या दरिद्रालय में निरूद्ध किया जा सकेगा.

(७) इस धारा के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा.

* * * * *

धारा ३६२-(१) कोई भी जो उपधारा (१) के अधीन दिए गए सूचना-पत्र के पश्चात्

(घ) वेश्यावृत्ति करते हुए निषिद्ध क्षेत्र के भीतर रहेगी.

दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास के दण्ड से, जो छः मास तक हो सकता है या ऐसे अर्थदण्ड से, जो (पांच हजार रुपये) तक हो सकता है या दोनों से और अपराध के चालू रहने की दशा में ऐसे अतिरिक्त अर्थदण्ड से जो प्रथम दिन के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसमें अपराध चालू रहे (पांच सौ रुपये) से अधिक नहीं होगा, दंडनीय होगा या होगी.

* * * * *

मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) से उद्धरण.

* * * * *

धारा २०८- (५) यदि किसी भवन या भूमि का स्वामी या अधिभोगी इस धारा के अधीन सूचना या आदेश की तामील के बावजूद उसमें उल्लिखित कार्य यथास्थिति उस सूचना या आदेश में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करने में असफल रहेगा तो वह जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा और उस दशा में जबकि वह जुर्माने का संदाय नहीं करता है, करावास से, जो तीन मास तक हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा:

परन्तु, इस धारा के उल्लंघन के संबंध में दण्ड के लिए कार्यवाहियां करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना परिषद्, उक्त कार्य अपने अभिकरण के माध्यम से करवा सकेगी और उसके संबंध में उपगत खर्च यथास्थिति उसके स्वामी या अधिभोगी से उस रीति में वसूल कर सकेगी जो अध्याय-८ में उपबंधित है.

* * * * *

धारा २८८- (१) जो कोई ऐसी नगरपालिका की, जिसकी राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, इस धारा के उपबंध लागू किए जाएं, सीमा के भीतर किसी पथ या लोक स्थान में भिक्षा मांगें या किसी फोड़े या घाव या किसी अंग विकार, रोग या शारीरिक व्याधि को बलात् भिक्षा लेने या भिक्षा ऐंठने के उद्देश्य से अभिदर्शित या प्रदर्शित करें, कारावास से जो तीन मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो पचास रुपये तक हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा.

(२) यदि न्यायालय यह निकर्ष निकाले कि किसी व्यक्ति ने उपधारा (१) के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया है, तो वह यदि उसकी राय में वह व्यक्ति अंग-शैथिल्य या दुर्बलता के कारण जीविका अर्जित करने में असमर्थ है या दरिद्रालय में भेजे जाने के लिए अन्यथा उचित व्यक्ति है तो दण्डादेश पारित करने के स्थान पर यह आदेश दे सकेगा कि उसे ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन जैसा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित किया जाए, परिषद् द्वारा संधारित या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित दरिद्रालय को भेज दिया जाए:

परन्तु ऐसा कोई भी आदेश दरिद्रालय के भार साधक व्यक्ति को आपत्तियां प्रस्तुत करने और यदि वह चाहे तो उसके समर्थन में सुने जाने का अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा.

(३) यदि उपधारा (२) के अधीन दरिद्रालय को भेजा गया व्यक्ति वहां से भाग निकले या किसी शर्त का उल्लंघन करें जिसके अध्यधीन उसे दरिद्रालय को भेजा गया था, तो वह दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास से जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो एक सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा.

(४) यदि न्यायालय यह पाए कि उस व्यक्ति का, जिसने उपधारा (१) के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया है, जन्म उस नगरपालिका की सीमाओं के भीतर नहीं हुआ था, या उसने उसमें एक वर्ष से अधिक तक निरन्तर निवास नहीं किया है, तो वह पूर्वोक्त उपधाराओं में विनिर्दिष्ट दंडादेश या आदेश के स्थान पर लिखित में एक आदेश द्वारा उक्त व्यक्ति को यह निर्देश दे सकेगा कि वह ऐसे समय के भीतर तथा ऐसे रूट तथा रूटों के द्वारा जो कि आदेश में कथित किए जाए, उक्त सीमाओं को छोड़ दें और जिला मजिस्ट्रेट की लिखित अनुज्ञा के बिना वहां वापस न आए. यदि उक्त आदेश विनिर्दिष्ट समय के भीतर उसका पालन करने में असफल रहता है तो न्यायालय उक्त व्यक्ति को ऐसे अनुरक्षक के साथ जैसा वह निर्देश दे उस नगरपालिका की सीमाओं के बाहर हटवा सकेगा.

(५) यदि उक्त व्यक्ति उपधारा (४) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी की अनुज्ञा के बिना नगरपालिका की सीमाओं के भीतर वापस लौट आए, वह दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास से जो छह मास का हो सकेगा या जुर्माने से जो एक सौ रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा.

(६) इस धारा के अधीन अपराध के (अभियुक्त) किसी व्यक्ति को विचारण के चलने तक या उसके दौरान या तो दंड प्रक्रिया संहिता, १८९८ (१८९८ का सं. ५) की धारा ३४४ के अधीन अभिरक्षा में या दरिद्रालय में समय-समय पर न्यायालय के निर्देश के अनुसार निरूद्ध रखा जा सकेगा.

(७) दंड प्रक्रिया संहिता, १८९८ (१८९८ का सं. ५) में अंतर्विष्टी किसी बात के होते हुए भी इस धारा के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय होगा.

*   *   *   *   *

धारा २९०-(२) जो कोई उपधारा (१) के अधीन जारी की गई सूचना की तारीख के पश्चात्—

(घ) वेश्यावृत्ति करने वाली वेश्या होते हुए प्रतिसिद्धी क्षेत्र के भीतर निवास करती है :

दोनों में से किसी प्रकार के कारावास से जो छह मास तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से और अपराध के चालू रहने की दशा में ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से जो प्रथम दिन के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें अपराध चालू रहे, पचास रुपऐ से अधिक नहीं होगा, दंडनीय होगा.

*   *   *   *   *

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.